

अभिलेख उपस्थापित।

23. बन्दी कुमार पिता स्व० संजय रजक, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोरा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चानो-1, थाना नं०-148, खाता संख्या-14 प्लॉट संख्या-35 रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसगिल) (चार डिसगिल) भूमि सोनु राम पिता सोहन राम, निवास स्थान ग्राम-परासी, पोस्ट-ईचाक, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-135/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2224/210 दिनांक 09.11.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1152 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत महादेव धोबी हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.73 एकड़ भूमि है। पंजी-1। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.56 एकड़ भूमि है। पंजी-1। के पृष्ठ संख्या-106/III पर ऑनलाईन में दिलचन्द धोबी वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। आवेदक के छरदादा वगै० जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.52 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दस्तावेज कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

आदेश की क्रम
संख्या।
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
दिप्पणी त

2

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बन्दी कुमार पिता स्व० रजिथ रजक, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोरा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चानो-1, थाना नं०-148, खाता संख्या-14 प्लॉट संख्या-35 रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसगिल) (चार डिसगिल) भूमि सोनु राम पिता सोहन राम, निवास स्थान ग्राम-परासी, पोस्ट-ईचाक, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।